4/11/25

दिनांक 6/11/25 को दिया गया

1.25 पत्रावली पेशी में ली गई। तहसील पत्रांक LR/2025/3570 दिनांक 15/10/25 द्वारा मौका Report प्राप्त हुई। वादी को सुना गया। वाद खोला कर विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

अनुवान इस्माइल खान बनाम तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/11/25	पत्रावली पेशी में ली गई। वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर याचित किया गया है कि चक 9 MOD खाता संख्या 51/62 में वादी का नाम असमील खान पुत्र बसाऊ व चक 6 MOD खाता संख्या 179/154 में असमील खाँ पुत्र शाह मोहम्मद दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादी का सही नाम इस्माइल खान पुत्र शाह मोहम्मद है। इसलिए वादी के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो अनुसार दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसील पत्रांक भू० अ०/2025/3570 दिनांक 15/10/25 व दिनांक 4/11/25 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मे वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की पुष्टि करते हुए नाम दुरूस्ती किए जाने की अनुशंषा की गई है। इसलिए वादपत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 9 MOD खाता संख्या 51/62 में क्रम संख्या 2 पर दर्ज व चक 6 MOD खाता संख्या 179/154 में क्रम संख्या 1 पर दर्ज खातेदार ~~की जगह~~ असमील खाँ की जगह इस्माइल खान पुत्र शाह मोहम्मद दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जाए। शेष प्रविष्टि यथावत रखी जाए। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया। [signature]

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़